

(c) what is the percentage of the people of the country for whom this particular programme is broadcast and what is the ratio between the time allotted for majority programme and the time allotted for the minority programme?]

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० बी० टी० केशकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। इसे विशेष श्रोताओं का कार्यक्रम कहते हैं।

(ग) जिन सुनने वालों के पास रेडियो सेट हैं उन में से १२ प्रतिशत गांवों में हैं और देहाती कार्यक्रम खासकर उन्हीं के लिये होता है। ब्रोडकास्टिंग के कुल समय का ११ फ्रीसदी देहाती कार्यक्रम के लिये दिया जाता है। लेकिन आकाशवाणी का साधारण कार्यक्रम देहाती सुनने वालों के लिये होता है क्योंकि आकाशवाणी ग्राम तोर पर गांव और शहर के बीच में कोई ऊंची दीवार खड़ी करना नहीं चाहता।

†[THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. B. V. KESKAR): (a) and (b) No, Sir. It is called a special audience programme.

(c) About 12% of the total number of listeners owning radio sets are in villages for whom the rural programme is particularly meant. Nearly 11% of the total period of broadcasts is devoted to the rural programmes. But the general programme of All India Radio is also meant to be heard by interested rural listeners as All India Radio does not wish to create water-tight compartment between villages and the cities.]

इंग्लैंड में डाक्टर मीनाक्षी अंकोला की मृत्यु

*२०. श्रीमती शांति देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९६१ में इंग्लैंड में डाक्टर मीनाक्षी अंकोला की मृत अवस्था में पाया गया था; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' हो, तो घटना का विवरण क्या है और क्या उनकी मृत्यु के कारण का पता लगाया जा चुका है ?

†[DEATH OF DR. MEENAKSHI ANKOLA IN ENGLAND

*20. SHRIMATI SHANTI DEVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Dr. Meenakshi Ankola was found dead in England in June, 1961; and

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, what are the details of the incident and whether the cause of her death has since been ascertained?]

THE DEPUTY MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI LAKSHMI MENON): (a) Yes.

(b) Dr. Meenakshi Ankola was found dead in her bed at Sheppey, Kent. According to the local police, the death was due to an over dose of barbiturate. There was no suspicion of foul play, but the Coroner gave an open verdict at the inquest on her death owing to the lack of positive evidence of the drug having been self administered.

‡[बंदेशिक कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन) : (क) जी हां।

(ख) डाक्टर मीनाक्षी अंकोला शेपे, केंट में अपने बिस्तर पर मरी हुई पाई गई थीं। स्थानीय पुलिस के अनुसार, उनकी मृत्यु वारबीट्यूरेट की अधिक मात्रा लेने के कारण हुई। यह संदेह नहीं किया गया कि यह श्रौषध उन्हें धोखे से खिलाई गई लेकिन जब उनकी मृत्यु की जांच की गई तो इस बात का पक्का सबूत नहीं मिला कि उन्होंने उक्त श्रौषध स्वयं खाई थी; इस कारण मृत्यु की जांच करने वाले अधिकारी (कोरोनर)

* प्रपत्ता निर्णय मुक्त (प्रोपन वाडिक्ट) रस्सा ।]

श्रीमती शान्ति बेदी : इसमें पोटिक्क क्या था ?

M8. DEPUTY CHAIRMAN: No motive.

पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के साथ लगी भारतीय सीमाओं का निर्धारण

*२१. श्री किशोरी राम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के साथ लगी भारतीय सीमाओं के निर्धारण का कार्य पूर्ण हो गया है और भू-नियमों में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो भू-नियमों में परिवर्तन करने का क्या कारण है ?

†[DEMARCATION OF INDIA'S BORDERS WITH EASTERN AND WESTERN PAKISTAN

*21. SHRI KISHORI RAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the demarcation of India's borders with Eastern and Western Pakistan has been completed and changes in the ground rules are under consideration; and

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, what is the reason for changing the Ground Rules?]

THE DEPUTY MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI LAKSHMI MENON): (a) and (b) Demarcation of the Punjab-West Pakistan border alone has been completed.

Demarcation of the Rajasthan, Gujarat, West Bengal, Assam and Tripura borders with Pakistan has yet to be completed.

Under the present Ground Rules, as soon as a particular border has been demarcated and wrongfully-held areas exchanged, the Ground Rules are to be reviewed to suit the changed conditions.

The Ground Rules on the Punjab-West Pakistan border alone are, therefore, proposed to be reviewed at an Indo-Pakistan conference to be held later this month.

[वंदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन) : (क) और (ख) केवल पंजाब-पश्चिम पाकिस्तान सीमा के अंकन का काम पूरा हुआ है ।

पाकिस्तान के साथ राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की सीमाओं के अंकन का काम अभी पूरा होना है ।

स्थल-नियमों (ग्राउंड रूल्स) के अन्तर्गत जब किसी सीमा विशेष का अंकन हो जायेगा और जिन क्षेत्रों पर गलत कब्जा किया हुआ है, उनका आदान-प्रदान हो जायेगा, तब उन बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्थल-नियमों पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

इसलिये ऐसा विचार है कि कुछ समय बाद इस महीने जो भारत-पाकिस्तान सम्मेलन होने को है, उसमें केवल पंजाब-पश्चिम पाकिस्तान सीमा से सम्बद्ध स्थल-नियमों पर पुनर्विचार किया जाय ।]

12 NOON

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question hour is over.

†[] English translation

‡[] Hindi translation.